(263)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2606—दो/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 04—08—2014 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1299/अपील/2012—13.

.....

गायत्री सिंह पुत्री स्व0 गुलाब सिंह पत्नी श्री हाकिम सिंह
निवासी ग्राम झाली हाल निवास सचहरी जिला छतरपुर म0प्र0

—— आवेदिका

विरूद्ध

1—सूर्यभान सिंह पिता स्व0 गुलाब सिंह
निवासी ग्राम झाली जिला सतना म0प्र0
2— मीरा सिंह पुत्री स्व0 गुलाब सिंह (फौत) वारिसान
2—अ— देवेन्द्र सिंह पिता श्री केशवप्रताप सिंह
3—बेला सिंह पुत्री स्व0 गुलाब सिंह पत्नी श्री बहादुर सिंह
निवासी ग्राम सेजई तह0 लौडी जिला छतरपुर म0प्र0
4— मु0 चन्द्रकली बेवा स्व0 गुलाब सिंह
5— इन्द्र बहादुर सिंह पिता स्व0 गुलाब सिंह
6— पंकज सिंह पिता श्री इन्द्र बहादुर सिंह
7— मयंक सिंह पिता श्री इन्द्रबहादुर सिंह
8— सुषमा सिंह पत्नी इन्द्रबहादुर सिंह
निवासीगण ग्राम झाली तहसील रघु0 जिला सतना म0प्र0

—— अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री कुंवर सिंह कुशवाह अभिभाषक, अनावेदक एवं
श्री राजेन्द्र जैन अभिभाषक अनावेदक कमांक—1
शेष अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित

.....

आदेश

(आज दिनांक 30/8/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–08–2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा न्यायालय अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) सतना में खाता विभाजन हेतु आवेदन दिया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक सूर्यभान को सूचना दिये बिना एवं एकपक्षीय कार्यवाही की गई साथ ही अनावेदक कमांक –4 चन्द्रकली की प्रकरण के विचारण समय दिनांक 7.9.12 को मृत्यु हो गई किन्तु उनके वारिसों को पक्षकार बनाये बिना आलोच्य आदेश पारित कर दिया जिससे से परिवेदित होकर अनावेदक सूर्यभान सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के न्यायालय में अपील प्रसतुत की जो दिनांक 30.8.13 को स्वीकार की गई इससे दुखित होकर आवेदिका गायत्री सिंह द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिसे अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर का आदेश दिनांक 30.8.13 स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदिका की बहन बेला एवं मृतक बहन मीरा सिंह की वारिस देवेन्द्र सिंहके द्वारा भू–अधीक्षक भू–अभिलेख सतना के न्यायालय में एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा– 109, 110 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत अपनी माता मुस0 चन्द्रकली एवं भाई सूर्यभान सिंह एवं इन्द्रबहादुर सिंह को अनावेदक के रूप पक्षकार बनाते हुये इस आशय का प्रस्तुत किया था कि मौजा झाली तहसील रघुराजनगर जिला सतना की आराजी न0 3/1, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 80, 85, 86, 551, 1226, 1227,1228, 1231 एवं आराजी कमांक 1236, 1243, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249 तथा आराजी कमांक 819, 820, 821, 822, 823/1 824, 825, 852, 1025, 1225, 1232, 1233, 1234, 854, 855, 856, 857 के संबंध में इस आश्य का प्रस्तुत किये थे कि उक्त आराजी पैत्रिक आराजी है और उक्त आराजियातों में अनावेदकगणों का नाम सहखतेदार के रूप में

दर्ज हैं जिसमें प्रथक प्रथक कई खाता है जिनका कि खाता कमांक 721 जो चन्द्र कली एवं उनके पुत्र सूर्यभान तथा इन्द्रबहादुर सिंह एवं सुन्दरलाल सिंह पिता श्री बैजनाथ सिंह के नाम दर्ज है तथा इसी प्रकार से खाता कमांक 777 भी इन्हीं के नाम है । आवेदकगण भी पैत्रिक आराजी होने के कारण गुलाब सिंह की मृत्यु के बाद वैधानिक वारिस हैं लेकिन चोरी छिपे आवेदकगणों का नाम नहीं करवाया गया इसलिये आवेदकगणों का खाता विभाजन प्रथक कर प्रथक नामांतरण किया जावे। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगणों के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के बाद विधिवत सूचना जारी की गयी थी जिसमें सूर्यभान सिंह सूचना के बाद भी उपस्थित नहीं तथा शेष अनावेदकगण के आवेदन पत्र के आधार पर आवेदकगणों का नाम राजस्व अभिलेखें में दर्ज करने की सहमति दी उसी सहमति के आधार पर भू–अधीक्षक भू–अभिलेख सतना के न्यायालय से राजस्व प्रकरण कमांक 133/अ–6/2010–11 आदेश दिनांक 4.10.12 के आधार पर नामांतरण किये जाने का आदेश पारित किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर द्वारा इस आधार पर अपील स्वीकार कर ली गई कि आवेदकगण सहखातेदार नहीं थे, एवं विधिवत इस्तहार का प्रकाशन नहीं किया गया। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्विवादित रूप से विवादित अराजियाते सभी पैत्रिक आराजियाते स्वीकृति रूप से थी और उक्त सभी आराजियातो के सहखातेदार एवं निगराकार /आवेदकण के पिता स्व0 गुलाब सिंह थे और उनकी मृत्यु के बाद स्व0 गुलाब सिंह के पुत्र पुत्री तथा पत्नी सभी सहखातेदार है और गुलाब सिंह की मृत्यु के बाद गुलाब सिंह के हिस्से की आराजी में उनके सभी वारिस सहदायिकी के रूप में माने जाने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निगराकार को पैत्रिक आराजी का सहखातेदार न मानने में वैधानिक त्रुटि की है इसलिये अधिनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के पैत्रिक आराजी का विभाजन का दावा निरस्त करने का एक आधार विधिवत इस्तहार प्रकाशन न किये जाने का भी लिया गया है जबकि विभाजन आदेश के पूर्व उभयपक्षो की जानकारी में इस्तहार प्रकाशन किया गया था। अगर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस्तहार प्रकाशन को सही नहीं माना गया तो भी आने वाले अधिकारी तहसील रघुराजनगर जिला सतना को संशोधित कानून

के मुताबिक प्रत्यावर्तन का अधिकार न होने के कारण जाप का अधिकार भी अपीलीय न्यायालय को दिया गया है लेकिन अपीलीय न्यायालय के द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग न करते हुये निगराकार का हक व हिस्सा पैत्रिक आराजी होने के कारण निर्विवादित रूप से होने के बाद भी विभाजनआदेश को निरस्त किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी अपना ध्यान आकर्षित न कर निगराकार की अपील विधि विरूद्व ढंग से निरस्त की गयी है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उनके द्वारा तर्क में यह भी कहा गया है कि प्रस्तुत दावा दायरा दिनांक के पूर्व ही आवेदकगणों के पिता गुलाब सिंह की मृत्यु हो गयी थी और पिता की मृत्यु के बाद संपूर्ण पैत्रिक आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक की पुत्रियों का भी हक व हिस्सा निर्विवादित रूप से प्रमाणित है इसके बाद भी अपर आयुक्त रीवा एवं अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर द्वारा पैत्रिक आराजी के विभाजन आदेश को निरस्त करने में वैधानिक त्रुटि की है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी रघुराजगनर एवं अपर आयुक्त रीवा का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक कमांक–1 के अधिवक्तागण द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदिका ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं का बयान नहीं कराया न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया इसलिये आवेदिका का दावा प्रमाणित नहीं हुआ इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदिका के पक्ष में विधि विरूद्व आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया था जिसे अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा निरस्त किया गया है जो वैधानिक प्रकिया से उचित है। उनके द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि अनावेदिका चन्द्रकली की मृत्यु अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण के विचारण के दौरान दिनांक 7.9.12 को हो गई थी किन्तु उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया न ही अनावेदक चन्द्रकली का दावे से नाम विलोपित किया और न ही पारिसानों का नाम जोड़ा गया, जिससे आवेदकगण का दावा अबैट हो जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था जिसे अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा निरस्त किया गया है जो वैधानिक

प्रकिया से उचित है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक सूर्यभान सिंह को कोई सूचना नहीं हुई और न ही उनके मकान पर नोटिस चस्वा किया गया, इसके बावजूद भी उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा बिना सुनवाई के मौका दिये वगैर प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्व है था जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि अपर आयुक्त रीवा एवं अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर द्वारा पारित आदेश उचित होने से स्थिर रखे जावे तथा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये जिसका अध्ययन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनकी निगरानी में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया गया। निगरानी में अनावेदक कमांक–1 की तामीली के संबंध में उल्लेख किया है कि विधि अनुसार तामील की गई थी तथा इश्तहार का प्रकाशन किया गया तथा पुत्री को भी पिता की संपत्ति में हक है। अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) सतना के प्रकरण के अवलोकन से यह पाया गया कि दिनांक 28.9.11 को प्रकरण पंजीबद्व किया गया तथा अनावेकगण को सूचना पत्र जारी करने के आदेश दिया गया था। अपीलार्थी सूर्यभान को जारी नोटिस का जो अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) सतना के प्रकरण में पृष्ठ कमांक 9/4 एवं 9/5 पर संलग्न है, का अवलोकन किया जिसमें एक नोटिस दिनांक 28.9.2011 को प्रकरण पंजीबद्व किया गया तथा अनावेदकगण को सूचना पत्र जारी के आदेश दिया गया था अपीलार्थी सूर्यभान को जारी नोटिस का अवलोकन करने पर एक नोटिस दिनांक 28.9.2011 को जारी होना लिखा गया तथा दिनांक 28.10.2011 को लेख की गई है इस नोटिस की कार्बन कापी में दिनांक 28.10.11 को सुनवाई की तारीख एवं दिनांक 28.9.11 को जारी होने का उल्लेख है। इस नोटिस की कार्बन कापी के पृष्ठ भाग पर बिना तामील लिखा गयाहे । दिनांक 30.12.11 को अनावेदक कमांक –2 को चस्पागी से नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये परन्तु सूर्यभान जो अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) सतना के यहां अनावेदक कमांक –2 थे को दिनांक 31.1.12 को

नोटिस जारी किया गया है तथा मामले की सुनवाई दिनांक 15.3.12 को किया जाना उल्लेखित है। जिस नोटिस के पीछे एक प्रति चस्पा की गई लिखी गई हे परन्तु चस्पा किराके द्वारा किया गया उनका हस्ताक्षर या पदनाम नहीं है। दिनांक 31.1.12 को अनावेदक कमांक–2 सूर्यभान को अनुपस्थित मानकर एक पक्षीय कार्यवाही की गई जबकि जारी नोटिस दिनांक 31.1.12 को ही हुआ है। नोटिस जारी दिनांक 15.3.12 को उपस्थित होने हेतु लेख किया गया था। अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) सतना द्वारा नियत तिथि दिनांक 15.3.12 के पूर्व ही दिनांक 31.1.12 को जिस दिन नोटिस जारी किया गया उसी दिन एक पक्षीय कार्यवाही कर दी गई । दिनांक 31.1.12 को जारी नोटिस तामीलकर्ता के हस्ताक्षर भी नहीं है। अतः उसे बुलाकर उसके कथन भी लिये जा सकते थे। आवेदिका द्वारा उठाये बिन्दु उचित नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर का यह मत उचित है कि संहिता की धारा 178, 109 एवं 110 के आवेदन में ही वसीयत की कार्यवाही की गई तथा वसीयत पर इश्तहार प्रकाशन नहीं किया गया उक्त प्रकिया उचित नहीं थी। स्वतंत्र खाते की भूमि को अन्य व्यक्ति के नाम सहखातेदार के रूप अंकित नहीं किया जा सकता । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक कमांक–1 की अपील स्वीकार कर समस्त विवादित भूमियों को पूर्व की स्थिति में अंकित करने का आदेश दिया गया है उसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर का आदेश दिनांक 30.8.13 अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा स्थिर रखा गया है जो उचित प्रतीत होता है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर का प्रकरण कमांक 49/अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 30.8.13 एवं अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण कमांक 1299/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 4.8.14 उचित होने से स्थिर रखे जाते हैं। परिणामस्वरूप आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर